

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 78/2024 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2024/87

1. नगर विकास न्यास, जरिये सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर।

– अपीलान्त

बनाम

01. प्यारेलाल पुत्र सुन्दर लाल जाति माली निवासी-पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास बीकानेर।

02. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

– रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: अभिभाषक अपीलांत

श्री दाऊलाल हर्ष

अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1

श्री जयचंद सारस्वत




निर्णय

दिनांक 14.11.2025

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 13.05.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1- वादग्रस्त भूमि ग्राम किसमीदेसर में स्थित खसरा नंबर 519, 520, 641, 1095/45, 1209/11, 18/519 के कुल तादादी 2.79 हैक्टर भूमि इन्द्रचंद वल्द गुलानाराम के नाम रिकॉर्ड दर्ज रही। इन्द्रचंद के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 208 द्वारा इन्द्रचंद के वारिसान चन्दा देवी पत्नी इन्द्रचंद एवं कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचंद के नाम दर्ज किया गया। इन्द्रचंद के वारिसान चन्दा देवी पत्नी इन्द्रचंद एवं कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचंद ने उक्त भूमि में खसरा नंबर 519 की 0.38 हैक्टर, 520 की 0.70 हैक्टर तथा 1209/11, 18/519 की 0.30 हैक्टर कुल तादादी कुल 1.38 हैक्टर भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्यारेलाल को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण नामांतरकरण संख्या 330 दिनांक 04.12.2006 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्यारेलाल के नाम दर्ज किया गया। इसके उपरांत तहसीलदार बीकानेर ने आदेश दिनांक 03.05.2012 की पालना में उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 के विरुद्ध अपील रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपील में निर्णय करते हुए अपील आंशिक स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 को निरस्त कर तहसीलदार, बीकानेर को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 13.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।


2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 519 की 0.38 हैक्टर, 520 की 0.70 हैक्टर तथा 1209/11, 18/519 की 0.30 हैक्टर कुल तादादी 1.38 हैक्टर का नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 को इस आधार पर तस्दीक किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास,

  
सभागीय आयुक्त  
बीकानेर

बीकानेर द्वारा धारा 90 बी के तहत खसरा नंबर 5, 74, 119, 47/217, व 534/217 का अधिग्रहण आदेश दिनांक 16.09.2000 को किया गया। उक्त वादगत भूमि का नामांतरण नगर विकास न्यास, बीकानेर के मूल आदेश दिनांक 16.09.2000 की पालना में दर्ज किया गया है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय ने बताया कि खसरा नंबर 520, 519, 1209/11, 18/519 की भूमि इन्द्रचन्द वल्द गुमानाराम कौन माली निवासी किसमीदेसर की पुरानी खातेदारी थी जबकि पुरानी खातेदारी भूमि 497/217 तथा 534/217 के इसलिए उत्तरवादी के कथन में सत्यता नहीं है कि अधिग्रहित भूमि अलग है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अधिग्रहित भूमि व इंतकाल संख्या 753 में दर्ज भूमि एक ही है। इन्द्रचन्द ने खसरा नंबर 497/217 व 534/217 का पूर्व में ही हस्तान्तरण होने का तथ्य छिपाया और भू-प्रबंध विभाग से मिलकर इन्द्रचन्द ने नक्शा की लोकेशन को परिवर्तन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। जब भूमि का अधिग्रहण हो गया तो इन्द्रचन्द या उनके वारिसान को कोई राईट टाईटल नहीं रह जाता लेकिन प्रथम अपील न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर कोई गौर किये बिना अपील आशिक स्वीकार किये जाने में भूल की है। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा दिनांक 16.09.2000 को पारित आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। इस आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 तस्दीक किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि मौके पर सूर्यनगर आवासीय योजना में लोगों को मकान आवंटित है नगर विकास न्यास द्वारा क्योस्क बनाये हुए है आबादी बसी हुई है यह तथ्य पत्रावली पर होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किए गए हैं। कानूनन नामांतरकरण तस्दीक करने की कोई मियाद नहीं है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय 12 साल बाद नामांतरकरण तस्दीक करने का उल्लेख करते हुए आदेश पारित करना अनुचित है। प्रथम अपील स्पष्टतः मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जबकि कानूनन सर्वप्रथम मियाद का बिन्दु तय होने के पश्चात ही आग की सुनवाई हो सकती है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर कोई उल्लेख न करते हुए कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का आदेश दिनांक 13.05.2024 निरस्त फरमाया जाकर नामांतरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 तहसील बीकानेर द्वारा तस्दीक किया गया है, उसे यथावत कायम रखा जावे। अन्य कोई अनुतोष जो नगर विकास न्यास, बीकानेर के पक्ष में प्रदान किया जावे।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 519 की 0.38 हैक्टर, 520 की 0.70 हैक्टर तथा 1209/1118/519 की 0.30 हैक्टर कुल तादादी 1.38 हैक्टर भूमि को इंकतरफा तौर रेस्पोजेन्ट को बिना पार्टी बनाये अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर दिया। उक्त वादगत रकबा मूल खातेदार चन्दादेवी पत्नी इन्द्रचन्द व कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचन्द माली निवासी किसमीदेसर का था, जिसे रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपीलांट ने जरिये बैयनामा दिनांक 21.11.2006 को खरीद कर रखा है जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम से नामांतरकरण संख्या 330 दिनांक 04.12.2006 को स्वीकृत किया गया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2062-65 में स्पष्ट अंकन है, तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 मौके पर काबिज होकर उपरोक्त कृषि को निरन्तर काश्त कर रहा है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर ने आवश्यक पक्ष खातेदार काश्तकार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इंतकाल संख्या 753 द्वारा अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया। जो सारी कार्यवाही विधि द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया व सिद्धांतों के खिलाफ स्वीकृत की गई है। मौके पर भौतिक रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त है। कब्जे की जांच किये बिना, तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 खातेदार को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना, स्वीकृत इंतकाल संख्या 753 लैण्ड



  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

रिकॉर्ड रूल्स के नियम 121 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस कारण इंतकाल संख्या 753 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने जानबूझकर सारे तथ्य छुपाये हैं। अतः इस आधार पर अपीलांट श्रीमान जी के न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त वादगत भूमि नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 16.09.2000 की पालना में 12 वर्ष पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 753 नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दर्ज किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16.09.2000 के पश्चात ही इन्द्रचंद के वारिसान चन्दा देवी पत्नी इन्द्रचंद एवं कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचंद के नाम दर्ज किया गया। इन्द्रचंद के वारिसान चन्दा देवी पत्नी इन्द्रचंद एवं कन्हैयालाल पुत्र इन्द्रचंद ने उक्त वादगत भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 प्यारेलाल को विक्रय की गई। उक्त विक्रय के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण नामांतरकरण संख्या 330 दिनांक 04.12.2006 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 प्यारेलाल के नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपीलाधीन निर्णय को निर्धारित करने के लिए जिन तथ्यों को शामिल किया गया है वह यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर द्वारा 12 वर्ष उपरान्त नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 05.05.2012 स्वीकृत करने से पूर्व मौका तथा रिकॉर्ड कि स्थिति का परीक्षण नहीं किया और ना ही रिकॉर्डेड खातेदार अपीलांट को सुनवाई पूर्ण अवसर दिया। जो नियमानुसार न्यायोचित हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2024 उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर